कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 29-11-2025 “ऑपरेशन कनविक्शन” थाना- चेतगंज

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर बच्चों की तस्करी से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय ADJ/FTC- I वाराणसी द्वारा अभियुक्त अनिल कुमार बरनवाल को **आजीवन कारावास** एवं **15 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना चेतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 0050/2023 धारा 363,311,370 भादवि में आज दिनांक 29.11.2025 को मा0 न्यायालय ADJ/FTC- I वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अनिल कुमार बरनवाल पुत्र गयालाल बरनवाल निवासी 47/54/7 कृष्णा नगर थाना हरिदेवपुर कोलकाता पं0 बंगाल को **आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

श्रीमती बिन्दु सिंह
ADGC Cr. वाराणसी

निरीक्षक विजय कुमार शुक्ला,
वर्तमान प्र0नि0 चेतगंज

का0 अमरेन्द्र कुमार,
पैरोकार थाना चेतगंज

का0 संतोष कुमार तिवारी.
कोर्ट मोहर्रिर